362/1

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 3087 / 05 / 76 / एक / 2016–17 दिनांक : 26 सितम्बर 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–सोनभद्र।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37 / 83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
एचडीएफसी	50100079809451	IFSC Code HDFC0001892	306.688

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सोनभद्र	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0पं0 पिपरी	वार्ड सं0 11 में रामविलास के घर के पास पुलिया से रामचन्द्र के घर के पास पुलिया तक नाली निर्माण का कार्य।	12.941
2	सोनभद्र	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0पं0 पिपरी	वार्ड सं0 08 में दीना के घर से सलीम के घर तक नाली निर्माण का कार्य।	6.931
3	सोनभद्र	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0पं0 पिपरी	वार्ड सं0 07 में इकबाल अहमद के घर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	11.428
4	सोनभद्र	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0पं0 पिपरी	वार्ड सं0 02 में श्यामबाबू के घर तक नाली निर्माण।	9.880
5	सोनभद्र	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0पं0 चोपन	वार्ड सं0 06 में काली मन्दिर के पास विवाह मण्डप से मौ0 गफ्फार के घर होते हुए अवकाश नगर पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	17.652
6	सोनभद्र	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 पिपरी	वार्ड सं0 1 रामजी के घर के सामने से आलीम के घर तक, रेका के घर से अवित तक, रफीक के घर से राजेन्द्र तक, महेन्द्र से अजाव तक, मुनीब अंसारी से रेलवे मैदान के पास खरपत्तु के घर तक, शंकर स्वामी से आई0डब्ल्यू0 कालोनी में राजेन्द्र तक, दया से उपेन्द्र यादव तक, बनारसी से सुदामा के घर तक, संतराज से बसन्त यादव तक, रेखा से अशोक तक, पानी की टंकी से जितेन्द्र ठाकुर तक, कपतु से पंकज तक, जोगेन्द्र यादव से कपतु तक, शत्रुहन के घर से आजाद के घर से होते हुए टीपू तक इण्टरलाकिंग रोड तथा नाली का निर्माण कार्य।	18.866

362/2

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
7	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 दुद्धी	वार्ड सं0 02 में कृपाओं की माता चर्च के सामने से ग्राम वीडर वार्डर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.311
8	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 दुद्धी	वार्ड सं0 06 में श्याम बिहारी गुरुजी से मक्तब स्कूल तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	6.971
9	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 दुद्धी	वार्ड सं0 07 में सत्यनरायन सिंह के बाउण्ड्री से नरेश तक नाली निर्माण कार्य	9.506
10	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 दुद्धी	वार्ड सं0 03 में दुलारे एडवोकेट से अनिल तक नाली निर्माण कार्य	9.533
11	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 दुद्धी	वार्ड सं0 08 में सियाराम तिवारी से डी0आर0 पैलेस तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.284
12	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 दुद्धी	वार्ड सं0 04 में सुरेश से अमवार पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	10.294
13	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 7 में श्रीमती निर्मला देवी से रिक्कू शर्मा तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.749
14	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 7 में कमाला अंसारी से बीरेन्द्र शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.940
15	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 9 में रामू से बबलू के घर होते हुए गीता देवी तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	2.989
16	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 9 में अनिल से जवाहिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.729
17	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 9 में शिवकुमार मिश्रा से सांई मन्दिर के पास तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	10.000
18	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 10 में चोपन मेन रोड से प्रकाश यादव तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	14.622
19	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 17 में 2 एफटी–30 गौतम प्रसाद के घर के सामने पुलिया से रामपाल के घर के पास तक नाली निर्माण का कार्य।	17.674
20	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 17 में संतोष बाबू के घर के पीछे से 2–आई 222 के पास पुलिया तक नाली निर्माण का कार्य।	17.714
21	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 20 में डिग्री कालेज के बगल से मुक्ता निवास तक नाली निर्माण का कार्य।	7.656
22	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 20 में काशिम अली से मेन रोड मुक्ता निवास के सामने तक दोनों तरफ नाली निर्माण का कार्य।	4.751

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

362/3

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
23	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 20 में मदारन अली से सरस्वती देवी तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	7.118
24	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ओबरा	वार्ड नं0 20 में सियाराम पान की दुकान से धनराज तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	8.163
25	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 चोपन	वार्ड नं0 5 मल्लाही टोला प्रथम में कुर्रा पुलिया से सोन नदी तक नाली का निर्माण कार्य।	17.714
26	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 चोपन	वार्ड नं0 5 मल्लाही टोला प्रथम में पाण्डेय मेडिकल से शिवचरण दास जायसवाल के आगे तक नाली का निर्माण कार्य।	8.372
27	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 चोपन	वार्ड नं0 11 हाईडिल कालोनी में छठ घाट से मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास के आगे तक इण्टरलॉकिंग का कार्य।	17.709
28	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 चोपन	वार्ड नं0 8 अग्रवाल मार्केट में शमसुददीन पुत्र छुन्नू के घर के पास से बेंचू पुत्र दशरथ गोंड के घर के आगे तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	17.345
29	सोनभद्र	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 चोपन	वार्ड नं0 8/11 में हनुमान दास के घर से विद्युत सब–स्टेशन तक इण्टरलॉकिंग का कार्य।	16.846
	योग				306.688

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

3627/4

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नही रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक